



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, रोक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/103/2016/एफ0सी0/426

दिनांक : 06/12/16

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: एस्सार ऑयल लि० के खसरा संख्या- 147ग्राम आजमगढ़ किमी० 26.400 दोंधी पटरी नहतौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग, नये रिटले आउटलेट के स्थापित किये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के क्षेत्रफल 0.0751हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2196/14-2-2016-800(81)६2016 दिनांक- 18.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. The information provided at page 11 at Sr no. A1 (ix) regarding non forest land is incorrect.
2. The details at Sr No. 5 & 6 of part II are incorrect.
3. The proposal is without submission of part III.
4. The part V provided with the proposal is blank and without signature of the competent authority.
5. The certificate under FRA 2006 is provided on wrong format and needs revision.
6. The information uploaded in part I D (a) is incorrect.
7. The geo referenced map for proposed forest land diversion is without geo coordinates of key points.
8. The NPV calculation is incorrect.
9. The topo sheet showing location of proposed forest land for diversion is showing whole road length proposed for diversion as per legend of the sheet. This anomaly needs rectification.
10. The compensatory afforestation has been proposed on linear strip of road side protected forest and the same needs to be located in a forest block to save it from future road widening.
11. The CA estimate needs revision as per escalation due to inflation.
12. The details of part II at Sr no. 9 needs re-verification as the same contravenes the site inspection report of the DFO.
13. The proposal is without site suitability certificate for proposed compensatory afforestation.
14. The .kml/.kmz files along with shp files of proposed forest land diversion and compensatory afforestation has not been submitted with the proposal in CD.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक- मूल प्रस्ताव


भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

6/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, गुरादाबाद वृत्त, गुरादाबाद, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर, उ० प्र०।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि०, सिमरा, वाराणसी, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली



(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केंद्रीय]


कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1233 /बिजनौर/15797/यूपी-162, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 09, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, गुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि० 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि० 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, गुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

